

I f'pdkLr I f'pdkvk dh I vph&2015

eb&2015

f' k{kk foHkkx

dē I 0	I f'pdk I ā; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(शिक्षा)06/14	सीताराम दूबे प्रधानाध्यापक राजकीयकृत शाहीदेव उच्च विधालय खरौंधा गढ़वा पर भ्रष्टाचार का आरोप के संबंध में राहुल कुमार दूबे का परिवाद ।	20.05.2015	उपायुक्त गढ़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार के आरोपी शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित किया गया है। अतः उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

uxj fodkl foHkkx

dē I 0	I f'pdk I ā; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(नविवि)02/14	उपादान तथा उपार्जित अवकाशके अन्तर का बकाया भुगतान नहीं करने के संबंध में नगेन्द्र कुमार लाल, राँची का परिवाद ।	18.05.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी देय पावना का भुगतान करा दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ty I d k/ku foHkkx

dē I 0	I f'pdk I ā; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(ज.सं.)01/13	बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री किशुन राम सेवानिवृत्त प्रधान सहायक का परिवाद ।	20.05.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक

				में माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	---

fI pkbZ foHkkx

दॆ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(सिंचाई)02/13	अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का भुगतान अनियमितता पूर्वक करने के संबंध में श्री दधि प्रसाद कोईरी, सरायकेला खरसांवा का परिवाद ।	20.05.2015	प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी दावे तथ्यहीन एवं बेबुनियाद पाये गये । कगजी सबूत के आधार संबंधित रैयत को मुआवजा का भुगतान किया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

i f'yl foHkkx

दॆ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(पुलिस)01/14	श्री प्रदुमन प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रा.अवर निरीक्षक (प्रशिक्षण)ट्राफिक ट्रेनिंग सेन्टर जमशेदपुर को सेवान्त लाभ नहीं मिलने के संबंध में ।	18.05.2015	पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(पुलिस)03/14	श्री धर्मेन्द्र सिंह, आरक्षी चालक गिरीडिह के विरुद्ध अर्जुन दास की हत्या करने व जमीन लिखवा लेने के संबंध में कलेश्वरी देवी का परिवाद ।	18.05.2015	पुलिस अधीक्षक गिरीडिह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार केस दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)01/13	बैजूकुरा प्रखण्ड सारवां जिला देवघर के केस में एस.पी. एवं डी.एस.पी. की घुसखोरी करने के संबंध	11.05.2015	पुलिस महानिरीक्षक दुमका प्रक्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपीयों के विरुद्ध केस दर्ज कर अनुसंधान के

		में डॉ० डी. कुमार महतो देवघर का शिकायत ।		क्रम में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है तथा घुसखोरी का आरोप सही पाया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
--	--	--	--	--

[kk | vki vr] foHkkx

द० ल०	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(खा.आ.)03/13	गिरिडीह जिला अन्तर्गत धनवार प्रखण्ड के ग्राम गोरहन्द जनवितरण प्रणाली दुकान 35/85 में अनियमितता एवं गड़बड़ी के संबंध में श्री अशोक कुमार साव का परिवाद ।	18.05.2015	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के क्रम परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को खारिज कर दिया गया ।

df" k foHkkx

द० ल०	l fpdk l a; k	fo"k;	l fpdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(कृषि)08/2013	पेंशन निर्धारण किये जाने के संबंध में श्री बृजनन्दन प्रसाद सेवानिवृत्त जनसेवक बोलवा प्रखण्ड का परिवाद ।	20.05.2015	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बोलवा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के पेंशन निर्धारण हेतु पेंशन प्रपत्र माहलेखाकार को प्रेषित किया जा चुका है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(वन)8/2014	अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने अथवा मुआवजा भुगतान करने के संबंध में श्री चितरंजन प्रसाद गुप्ता हजारीबाग का परिवाद ।	18.05.2015	प्रशनगत परिवाद भू-स्वामित्व से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है तथा परिवाद को सक्षम व्यवहार न्यायालय में उपचार प्राप्त है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

[kku , oa HkwrRo foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(खनन)04/13	साहेबगंज जिला में अवेद्य पत्थर उत्खनन, प्रदुषण फैलाने एवं कार्यरत मजदूरों के शोषण के संबंध में श्री मदन गुप्ता साहेबगंज का परिवाद ।	20.05.2015	उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

dY; k.k foHkkx

dæ l 0	l f'pdk l a'; k	fo"K;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	01/लोक(कल्याण)02/12	श्री राजीव रंजन, सहायक अभियंता आई.टी.डी.ए. द्वारा जांच प्रतिवेदन नहीं दिये जाने के संबंध में श्री सुनील कुमार महतो, राँची का परिवाद ।	08.05.2015	मंत्रीमंडल निगरानी से प्राप्त प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार राजीव रंजन, सहायक अभियंता आई.टी.डी.ए. द्वारा तकनिकी रिपोर्ट जमा कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री सही पाये गये। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

दॆ । ०	। ढडक । ँ ; क	fo"क;	। ढडकLr dh frffk	vfire vkn'sk
1.	01/लोक(विविध)02/14	वसूधा होम्स पुंदाग के पार्किंग क्षेत्र में अवैध निर्माण के संबंध में श्री आनन्द कुमार पाण्डेय राँची का परिवाद ।	20.05.2015	राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वाद सं. 02/2014 उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के न्यायालय में लंबित है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

f'kdk; r

दॆ । ०	। ढडक । ँ ; क	fo"क;	। ढडकLr dh frffk	vfire vkn'sk
1.	शिकायत सं. 300/2014	स्वीकृत नाली व पी.सी.सी. पथ निर्माण में अनियमितता के संबंध में श्री भुनेश्वर यादव हजारीबाग का शिकायत ।	18.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 99/2015	अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मनरेगा में नियुक्ति के संबंध में शाहिद अंसारी, लोहरदगा का शिकायत ।	11.05.2015	शिकायत नियुक्ति से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अर्न्तगत नहीं आता है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं0 370/14	मुखिया द्वारा इन्दिरा आवास हेतु 10 हजार रुपया घूस मांगने के संबंध में श्री सुधीर रवानी, चन्दन कियारी, बोकारो का शिकायत ।	18.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

4.	शिकायत सं. 86/2015	श्रीमती सावित्री देवी, जमशेदपुर को पति द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में शिकायत ।	11.05.2015	परिवादनी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 129/15	बिहार राज्य वित्तीय निगम हजारीबाग द्वारा प्रदत्त ऋण में भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में श्री चितरंजन प्रसाद गुप्ता, हजारीबाग का परिवाद ।	20.05.2015	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 93/2015	श्री अमरिका सिंह के रैयति/भू-दान प्रदत्त जमीन को अधिग्रहण के बदले मुआवजा के संबंध में ।	20.05.2015	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः वाद पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 421/2014	दहेज प्रताड़ना के आरोप में बोकारो थर्मल थाना काण्ड सं 97/2014 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में आरती सिंह का शिकायत ।	18.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादीनी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 462/2014	श्री परमा प्रसाद सिंह विशेष पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण, साहेबगंज द्वारा सरकारी राशि के गबन के संबंध में श्री रंजीत कुमार साह, साहेबगंज का शिकायत ।	20.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं. 438/14	श्री मिथलेश प्रसाद आई.बी. वाणिज्य कर विभाग धनबाद के पदाधिकारी के द्वारा व्यवसायों को धमका कर कमाई गई करोड़ों की सम्पत्ति की जांच के संबंध में श्री धर्मेन्द्र महतो , सचिव, झारखण्ड विकास मोर्चा राँची का शिकायत ।	20.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 419/14	जामताड़ा विधायक श्री विष्णु प्रसाद भैया व थाना प्रभारी अजय सिंह द्वारा सांठ-गांठ कर परिवादी को प्रताड़ित करने , बदनाम करने तथा तथा परिवादी के आवेदन पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री संजय तिवारी, जामताड़ा का शिकायत ।	20.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 520/2014	आर.आई.टी कोडरमा के कर्मचारीगण के वेतन विसंगति के संबंध में श्री संदीप शरण व अन्य का	20.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण

		शिकायत ।		माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 382/14	मधुपुर थाना काण्ड सं.68/14 के अनुसंधानक श्री लोहिया उराँव के द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में मधु छन्दा मधुपुर का शिकायत ।	18.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
13	शिकायत सं0 448/14	आदित्यपुर थाना में दर्ज FIR सं. 259/14 पर पुलिस द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं करने एवं काण्ड में संलिप्त पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसांवा श्री मदन मोहन लाल के विरुद्ध समुचित अन्वेषण किये जाने के संबंध में श्री ए. गोपाल राव का शिकायत ।	18.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
14.	शिकायत सं. 75/15	जमीन को नामान्तरण करने के संबंध में श्री कुणाल केशरी दुमका का परिवाद ।	08.05.2015	परिवादी का शिकायत जमीन का निबंधन निरस्त करने व दाखिल खारिज करने के संबंध में है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
15.	शिकायत सं. 107/2015	FIR दर्ज नहीं करने के संबंध में मो0 कमरुद्दिन नारायणपुर, जामताड़ा का शिकायत ।	20.05.2015	परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है अतः शिकायत को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
16.	शिकायत सं. 114/15	उद्योग विभाग साहेबगंज में टंकक के पद पर पुनः नियुक्ति के संबंध में अवधेश कुमार राय गाजीपुर का शिकायत ।	18.05.2015	शिकायत सेवा से निष्कासन से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
17.	शिकायत सं. 47/15	उदय नारायण मिश्र जिला उपभोक्ता फोरम पलामू के लापरवाही के कारण इजरायवादा में नियमानुकूल भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री नवल किशोर महतो व अन्य, पलामू का परिवाद ।	05.05.2015	शिकायत वाद उपभोक्ता न्यायालय पलामू में लंबित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया ।
18.	शिकायत सं. 80/2015	स्व0 राधारमण झा, तत्कालिन लेखापाल अनौपचारिक शिक्षा परियोजना पाटन, पलामू के	11.05.2015	परिवादीनी पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में रिट सं. 4185/2012 दाखिल की थी जिसमें

		सेवान्त लाभ के बकाया के संबंध में मो. उर्मिला देवी का शिकायत ।		माननीय न्यायालय का उचित आदेया भी पारित हो गया है । अतः वाद झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया ।
19.	शिकायत सं. 84/2015	अनाधिकृत रूप से कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय तालझारी के रसोईया के पद से हटाने के संबंध में श्रीमती ममता कुमारी भगलपुर का शिकायत ।	08.05.2015	शिकायत सेवा से निष्कासन से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
20.	शिकायत सं. 70/2014	पलामू प्रमंडल के गढ़वा एवं पलामू के शिक्षा विभाग में नियम विरुद्ध नियुक्ति तथा भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राजेन्द्र शुक्ल, राँची का परिवाद ।	20.05.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
21.	शिकायत सं. 518/13	अपार्टमेंट के अवैद्य निर्माण के संबंध में अर्चना शर्मा बोकारो का शिकायत ।	20.05.2015	इस शिकायत पर झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा संज्ञान लिय गया है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।